बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242331 दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री मनीष कुमार,
तत्कालीन, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढी,
पता- ग्रा0-मझनपुरा, पो0-नदपुरा,
थाना-धनरूआ, जिला-पटना ।

विषय :- अनधिकृत रूप से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-200188 दिनांक 08.09.14 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढी के पद पर किया गया था । उक्त अधिसूचना के अनुपालन में आपके द्वारा योगदान कर पारिवारिक कारणों का उल्लेख करते हुए दिनांक 10.09.14 से अवकाश में रहने संबंधी आवेदन जिला पदाधिकारी/ विभाग को समर्पित किया गया, परंतु सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृति के बिना आप कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहें ।

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकार से अवकाश की स्वीकृति के बिना कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है ।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 13/8/15
सचिव

आवेदन सं-5570